मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
बिहार सरकार
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-77
04/03/2022

मुजफ्फरपुर आई अस्पताल (गैर सरकारी) हादसे में अपनी आंखों की रौशनी गंवाने वाले 19 पीड़ितों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक–एक लाख रूपये की सहायता राशि देने का मुख्यमंत्री का निर्देश

- जिलाधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी राशि।
- पीड़ितों को सहायता राशि अविलम्ब भुगतान करने का मुख्यमंत्री का निर्देश।

पटना, 04 मार्च 2022 :– मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर आई अस्पताल (गैर सरकारी) में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद अपनी आंखों की रौशनी गंवाने वाले 19 व्यक्तियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से एक–एक लाख रूपये की सहायता राशि देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि अंतरित भी कर दी गयी है। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सहायता राशि अविलम्ब पीड़ितों को मुहैया करा दें।

ज्ञात हो कि दिनांक– 22.11.2021 से 27.11.2021 के बीच मुजफ्फरपुर आई अस्पताल (गैर सरकारी), जूरन छपरा रोड नं0–2 द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 19 लोगों ने अपनी आंखों की रौशनी गंवा दी थी। पीड़ितों में मुजफ्फरपुर के 9, पूर्वी चम्पारण के 02, शिवहर के 02, वैशाली के 03, समस्तीपुर के 01, छपरा के 01 एवं पश्चिमी चम्पारण जिले के 01 व्यक्ति शामिल हैं।

******